



दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) - 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in Phone & Fax 0788-2359400

// अधिसूचना //

क्रमांक 1214/ पाठ्यक्रम / अका. / 2017

दुर्ग, दिनांक 27.09.2016

विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 185 की कंडिका 6 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन शिक्षा अध्ययन मंडल की अनुशांसा के आधार पर अधिसूचित किया जाता है कि—

1. बी.एड. के प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक प्रश्नपत्र में 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन (Sessional) एवं 80 अंक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र के लिए निर्धारित होगा।
2. आंतरिक मूल्यांकन एवं सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
3. आंतरिक मूल्यांकन में निम्न क्रियाकलाप कराए जा सकते हैं—
 - अ. साप्ताहिक परीक्षा
 - ब. सत्रीय कार्य
 - स. विषय से संबंधित परियोजना कार्य एवं उसका प्रतिवेदन
4. यह प्रावधान एम.एड. के प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक प्रश्नपत्र पर भी उपरोक्तानुसार ही लागू होगा।
5. बी.एड./एम.एड. के भाषा प्रवीण्यता के प्रश्नपत्र पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

उपरोक्त अधिसूचना को सत्र 2017-18 से प्रभावी किया जाता है।

कुलसचिव

पृ.क्र. 1215 / पाठ्यक्रम / अका. / 2017

दुर्ग, दिनांक 27.09.2017

प्रतिलिपि:—

1. प्राचार्य, समस्त बी.एड./एम.एड. महाविद्यालय, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. उपकुलसचिव, गोपनीय/परीक्षा, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ।

उप कुलसचिव (अका.)